Updated on 13/05/2010

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–पंधाना

क्रमांक क/अ0वि0अ0/2010 पंधाना, दि0 13/05/2010.

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–पंधाना

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 क्रियान्वयन।
संदर्भ– समयसीमा पत्रकों की बैठक में दिये निर्देश अनुसार।

000

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत संबंधित वांछित 17 बिन्दुओं की जानकारी इस पत्र के साथ हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी (सी0डी0) में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग–पंधाना

## सूचना का अधिकार से संबंधित जानकारी

<u>बिन्दु क्रमांक 1 (क)</u>

## अनुविभाागीय अधिकारी कार्यालय, पंधाना का संरचनात्मक ढांचा

अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पंधाना

↓

↓

सहायक ग्रेड–3

↓

वाहन चालक

↓

राजस्व भृत्य

अनुविभागीय अधिकारी<br>
अनुभाग–पंधाना

<u>बिन्दु क्रमांक 1 (ख)</u>

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पंधाना में विभिन्न शाखाओं के कार्य, अधिकार एवं दायित्वों की जानकारी :–

| क्र | पद का नाम | कर्तव्य | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | सहायक वर्ग–3 (रीडर) | 1 | पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत प्राप्त पत्रों की जांच तथा प्रदत्त धाराओं के प्रकरणों का संधारण। |
| | | 2 | निर्वाचन संबंधी कार्यों का संधारण। |
| | | 3 | पत्राचार का कार्य। |
| | | 4 | अवैध उत्खनन प्रकरणों का संधारण। |
| | | 5 | पटवारी पदस्थापना/जांच संबंधी नस्तियों का संधारण। |
| | | 6 | खाद्य शाखा से संबंधित कार्य |
| | | 7 | समस्त अवकाश लेखा संबंधी कार्य। |
| | | 8 | भ्रमण कार्यक्रम/दैनंदिनी का कार्य। |
| | | 9 | गोपनीय चरित्रावली संबंधी कार्य। |
| | | 10 | शिकायत संबंधी कार्य। |
| | | 11 | राजस्व प्रकरणों का कार्य/संधारण। |
| | | 12 | पंजीयक सार्वजनिक न्यास प्रकरण। |
| | | 13 | भू–अर्जन प्रकरणों का संधारण। |
| | | 14 | किराया नियंत्रण प्रकरण संधारण। |
| | | 15 | आर.बी.सी. 6–4 प्रकरण संधारण। |
| | | 16 | लोक परिसर बेदखली प्रकरण संधारण। |
| | | 17 | किराया औचित्य प्रमाण–पत्र। |
| | | 18 | समस्त आपराधिक प्रकरणों का कार्य/ दं0प्र0सं0धारा 110, 161 |
| | | 19 | कानून व्यवस्था/ग्रामीण क्षेत्र रेस्ट हाउस आरक्षण संबंधी कार्य। |
| | | 20 | विस्फोटक एवं आर्म्स लायसेंस संबंधी कार्य। |
| | | 21 | जाति प्रमाण पत्र जारी /संधारण। |
| | | 22 | दं0प्र0सं0 की धारा 97, 133 एवं 145 संबंधी प्रकरणों का निराकरण। |

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–पंधाना

# बिन्दु कमांक 2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जानकारी

| क0 | अधिकारी का नाम एवं पदनाम |
|---|---|
| 1 | श्री अनुराग सक्सेना<br>अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, अनुभाग–पंधाना |

## शक्तियां एवं कर्तव्य

| | |
|---|---|
| 1 | अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, पंधाना |
| 2 | पंजीयक, सार्वजनिक न्यास पंधाना |
| 3 | सक्षम अधिकारी, म0प्र0 लोक परिसर बेदखली पंधाना |
| 4 | भू–अर्जन अधिकारी, तहसील पंधाना–पंधाना |
| 5 | म.प्र. दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी |

## परिलब्धियां

| अधिकारी का नाम | पदनाम | परिलब्धियां वेतन–––––– |
|---|---|---|
| अनुराग सक्सेना | अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, पंधाना | 19,390/– वेतन एवं 6600/– ग्रेड पे एवं समय–समय पर देय महंगाई भत्ता |

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 3

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/दंडाधिकारी, पंधाना में अपनाई जाने वाली

## निर्णय प्रकिया।

- आवेदन पत्र
- इश्तहार
- आपत्ति पत्र
- सूचना पत्र
- जवाब/दस्तावेज
- साक्ष्य (प्रकरण में आवश्यक हो तो)
- परीक्षण
- बहस/तर्क
- आदेश

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

<u>बिन्दु क्रमांक 4</u>

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पंधाना द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी मापदंड तय किये जाने संबंधी जानकारी

राजस्व विभाग का पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर दिनांक 30–3–2010

| क्रमांक | कार्य /योजना का नाम | प्रभारी अधिकारी | निपटारे की समय सीमा (दिवस) | कार्यवाही न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जानी है उसका पदनाम | शिकायत के निराकरण की समय सीमा (दिवस) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | नामांतरण | | | | |
| | (क) अविवादित | ग्राम सभा | 45 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | (ख) विवादित | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार | 120 दिवस | उपखंड अधिकारी | 15 दिवस |
| 2 | बंटवारा | | | | |
| | अविवादित<br>(क) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन दिया हो | ग्राम सभा | 45 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | (ख) जहां सभी खातेदारों ने संयुक्त आवेदन नही दिया है और सहखातेदारों को सूचित करना अपेक्षित है । | ग्राम सभा | 120 दिवस | तहसीलदार | 15 दिवस |
| | विवादित<br>जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित हो<br>(यदि न्यायालय ने स्थगन दिया है तो स्थगन अवधि को कम करते हुए | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार | 210 दिवस | उपखंड अधिकारी | 15 दिवस |
| 3 | भूमि का सीमांकन | तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार | 30 दिवस (फसल खड़ी रहने या वर्षाकाल की अवधि को छोड़कर | उपखंड अधिकारी | 15 दिवस |
| 4 | प्रमाणित प्रतिलिपि का प्रदाय | | | | |
| | (क) सामान्य(साधारण) | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | 3 दिवस | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है | 3 दिवस |
| | (ख) तत्काल<br>कम्प्यूटर से खसरा प्रति | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | उसी दिन (कम्प्यूटर चालू होने पर) | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है | 3 दिवस |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | राजस्व अभिलेखों का अवलोकन | | | | |
| | (क) सामान्य(साधारण) | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | 3 दिवस | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है | 3 दिवस |
| | (ख) तत्काल | कार्यालय का प्रभारी अधिकारी | एक दिवस | वह प्राधिकारी जिसके नियंत्रण में प्रभारी अधिकारी आता है | 3 दिवस |
| 6 | प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत अनुदान | | | | |
| | (क) रूपये 10000/— तक की वित्तीय सीमा के मामले में<br>(ख) रूपये 20000/— तक की वित्तीय सीमा के मामले में<br>(ग) रूपये 100000/— तक की वित्तीय सीमा के मामले में<br>(घ) रूपये 100000/— से अधिक की वित्तीय सीमा के मामले में | तहसीलदार<br>उपखंड अधिकारी<br>कलेक्टर<br>संभागायुक्त | 10 दिवस<br>15 दिवस<br>15 दिवस<br>15 दिवस | उपखंड अधिकारी<br>कलेक्टर<br>संभागायुक्त<br>राहत आयुक्त | 7 दिवस<br>7 दिवस<br>7 दिवस<br>7 दिवस |
| 7 | शोध क्षमता प्रमाण पत्र | | | | |
| | (क) प्रतिवेदन तैयार कर भेजना<br>(ख) प्रमाण पत्र का प्रदाय | तहसीलदार/नायब तहसीलदार/उपखंड अधिकारी<br>कलेक्टर | 7 दिवस<br>15 दिवस | उपखंड अधिकारी<br>संभागायुक्त | 7 दिवस<br>15 दिवस |
| 8 | नजूल भूमि संबंधित | | | | |
| | (क) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र<br>(ख) नजूल पट्टे का नवीनीकरण (शर्त उल्लंघन के प्रकरणों को छोड़कर) | नजूल अधिकारी<br>कलेक्टर | 30 दिवस<br>60 दिवस | कलेक्टर<br>संभागायुक्त | 15 दिवस<br>15 दिवस |
| 9 | भू—अर्जन संबंधित प्रकरण | | | | |
| | अवार्ड पारित होने एवं भूमि का कब्जा लेने पर भू—अर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान | भू—अर्जन अधिकारी | 30 दिवस | संभागायुक्त | 15 दिवस |

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग—पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 5

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधानाा में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेग्यूलेशन, मेन्यूअल की सूची :–

1. मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959
2. मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र
3. मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र
4. मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम–1974
5. मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम–1951
6. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम–1993
7. भू–अर्जन अधिकनयम–1984
8. स्थान नियंत्रण अधिनियम–1981
9. म0प्र0सिविल सेवा वर्गीकरण (अपील,नियंत्रण) 1965
10. दण्ड प्रकिया संहिता अधिनियम–1973
11. शासन से प्राप्त होने वाले निर्देश एवं वरिष्ठ से प्राप्त रूल्स, रेग्यूलेशन मेनर्स, सरकुलर्स, आदि।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

<u>बिन्दु क्रमांक 6</u>

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधानाा में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण :–

1. राजस्व प्रकरण दायरा पंजी/अपील पंजी।
2. आपराधिक प्रकरण दायरा पंजी।
3. अभिलेख पास बुक पंजी।
4. रोकड़ पंजी।
5. आदेशिका पंजी।
6. आवक–जावक पंजी।
7. आकस्मिक अवकाश/उपस्थिति पंजी।
8. न्यायालय अधिकारी वाद सूची।
9. न्यायालय सार्वजनिक वाद सूची।
10. अर्थदंड पंजी।
11. रसीद बुक/चालान पंजी–नस्ती।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 7

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधानाा में ऐसी परामर्शदात्री समितियों की संरचना जिनके सदस्य जनप्रतिनिधी हों, के संबंध में वांछित जानकारी।

उक्त जानकारी इस कार्यालय की निरंक है। इस कार्यालय में कोई भी परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की गई है। यह कार्य जिलाधीश कार्यालय, स्तर पर संपादित किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

## <u>बिन्दु क्रमांक 8</u>

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधाना के अन्तर्गत आने वाली बोर्ड/परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश,चार्टर/अनुबंध से संबंधित जानकारी।

उक्त जानकारी इस कार्यालय की निरंक है। इस कार्यालय में कोई भी बोर्ड, परिषद एवं समिति गठित नहीं की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

# बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पंधाना में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधायें, जानकारीः—

| क्र0 | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | प्राप्त वेतन रूपये |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अनुराग सक्सेना | अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी, अनुभाग—पंधाना | 19790/ —वेतन एवं 6600/— ग्रेड पे तथा समय—समय पर देय महंगाई भत्ता |
| 2 | श्री यू0एस0डोंगरे | सहायक ग्रेड — 3 | 10150/ —वेतन एवं 2800 ग्रेड पे तथा समय—समय पर देय महंगाई भत्ता |
| 3 | वाहन चालक | पद रिक्त | ————— |

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग—पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 11

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधाना के लिये वर्ष 2009–2010 हेतु मदवार प्राप्त बजट, आबंटन तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी।

अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, पंधाना हेतु वर्ष 2009–2010 हेतु मदवार प्राप्त बजट आबंटन तहसील कार्यालय (नायब नाजिर शाखा) पंधाना में संधारित है। जानकारी उनके द्वारा प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

## <u>बिन्दु कमांक 12 एवं बिन्दु कमांक 13</u>

कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया, वित्तीय सहायत देने वाली संस्था, वर्षवार आबंटित राशि तथा हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी।

विषय– प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिये शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि और उसके निर्धारित मापदंड

(एक) फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता–

| अ0क0 | कुल खाते की धारित कृषि भमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी | 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि। | 50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– | लघु एवं सीमांत कृषक– 0 हैक्टर से 2 हैक्टर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को। | 1. वर्षा आधारित फसल के लिये – रूपये 2000/– प्रति हैक्टेयर।<br>2. सिंचित फसल के लिये–<br>रूपये 3500/– प्रति हेक्टेयर।<br>3. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से कम अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 5000/– हजार प्रति हेक्टेयर।<br>4. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से अधिक अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 7500/– हजार प्रति हेक्टेयर। | 1. वर्षा आधारित फसल के लिये – रूपये 3000/– प्रति हैक्टेयर।<br>2. सिंचित फसल के लिये–<br>रूपये 7500/– प्रति हेक्टेयर।<br>3. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से कम अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 7500/– हजार प्रति हेक्टेयर।<br>4. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से अधिक अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 10000/– हजार प्रति हेक्टेयर। |
| 2– | लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक– 2 हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक/खातेदार को। | 1. वर्षा आधारित फसल के लिये– रूपये 1500/– प्रति हैक्टेयर।<br>2. सिंचित फसल के लिये– रूपये 2500/– प्रति हेक्टेयर।<br>3. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से कम अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 3500/– हजार प्रति हेक्टेयर।<br>4. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से अधिक अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 5000/– हजार प्रति हेक्टेयर। | 1. वर्षा आधारित फसल के लिये– रूपये 2500/– प्रति हैक्टेयर।<br>2. सिंचित फसल के लिये– रूपये 5500/– प्रति हेक्टेयर।<br>3. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से कम अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 5000/– हजार प्रति हेक्टेयर।<br>4. बारामाही (पेरीनियल) (6माह से अधिक अवधि की)<br>फसल के लिये रूपये 6500/– हजार प्रति हेक्टेयर। |

–2–

(दो) पशुहानि के लिये आर्थिक सहायता की राशि (चाहे वह खातेदार हो अथवा भूमिहीन हो)

| क्र0 | पशु का प्रकार | राशि रूपये प्रति पशु |
|---|---|---|
| 1. | बैल/भैंस/घोडा | 6000/– |
| 2. | गाय | 3000/– |
| 3. | बकरी/भेड़ | 800/– |
| 4. | उंट | 6000/– |
| 5. | गधा | 2000/– |
| 6. | सुअर | 1500/– |
| 7. | बच्चा– भैंस, घोड़ा, गाय, उंट | 1000/– |
| 8. | बच्चा– भेड़, बकरी, सुअर, गधा | 250/– |
| (ख) पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये– | | |
| 9. | मुर्गी/मुर्गा (10सप्ताह से अधिक आयु के) | 40/– रूपये प्रति पक्षी। |
| 10. | चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के) | 20/– रूपये प्रति पक्षी। |

(तीन) नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता–

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगीः–

| क्रमांक | विवरण | | मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि। |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1– | पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नही। | पक्का मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 25000/– (रूपये पच्चीस हजार) |
| | | कच्चा मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 20000/– (रूपये बीस हजार |
| | | झुग्गी/झोपड़ी (विधिसंगत निर्माण) | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 6000/– (रूपये छैः हजार) |
| 2– | गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहॉ क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) | पक्का मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 5000/– (रूपये पांच हजार) |
| | | कच्चा मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 3000/– (रूपये तीन हजार) |
| | | झुग्गी/झोपड़ी (विधिसंगत निर्माण) | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 2000/– (रूपये दो हजार) |
| 3– | आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त (जहॉ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो) | पक्का मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 2500/– (रूपये दो हजार पाच सौ) |
| | | कच्चा मकान | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 1500/– (रूपये एक हजार पांच सौ) |
| | | झुग्गी/झोपड़ी (विधिसंगत निर्माण) | वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपया 1000/– (रूपये एक हजार) |

(चार) कपड़ों, बर्तनों एवं खाद्यान्य की क्षति के लिये आर्थिक अनुदान सहायताः—

1— प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्य गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपड़ों एवं बर्तनों की हानि के लिये प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से रूपये 2000/— (दो हजार रूपये) की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि मकान को हुई क्षति के लिये दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त होगी।

2— प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीड़ित परिवार के कपड़े एवं खाद्यान्य गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से 50 किलोग्राम खाद्यान्य (गेहू—चांवल) एवं 5 लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जावेगा। यह सहायता एक आपदा कि प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

(पांच) मृत व्यक्ति के परिवार/निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदानः—

1— नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकंप, बाढ़, औलावृष्टि, भूस्खलन, के साथ—साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रूपया 1,00,000/— (रूपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जायेगी।

2— सर्प, गुहेरा, या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यृ हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यृ होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रूपये 50,000/— (रूपये पचास हजार मात्र) की सहायता दी जायेगी।

3— जनहानि के मामलों में मृत्यृ की सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यृ होने एवं उसके कारणों की जॉच की जाएगी। और जहॉ संभव हो डाक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जायेगा। मृत्यृ होना पाए जाने पर मृतक परिवार के सदस्य/निकटतम वारिस को उक्त धनराशि की अनुदान सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएगी।

4— ''मृत व्यक्ति'' में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यृ होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा।

5— मृत्यृ के मामलों में दी जाने वालीयह आर्थिक अनुदान सहायता राशि प्रभावित परिवार को प्राप्त होने वाली अन्य सहायता या बीमा राशि के अतिरिक्त होगी।

(छैः) (1) शारीरिक अंग हानि के लिये आर्थिक सहायता—

(क) नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकंप, बाढ़, औलावृष्टि, भूस्खलन के साथ—साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या माकन में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि हुई है तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 35,000/— (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की अनुदान सहायता दी जाएगी।

(ख) नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों का महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर,या दोनों आंखों की हानि हुई है तो ऐसे पीडित व्यक्ति को रूपये 25,000/— (रूपये पच्चीस हजार मात्र) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए कलेक्टर अनुदान सहायता स्वीकृति देगें।

—4—

(2) गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भरती रहे—

नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकंप, बाढ़, औलावृष्टि, भूस्खलन के साथ—साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण अथवा नाव, दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियो को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर फ्रेक्चर जैसी गंभीर, शारीरिक क्षति होने पर जिलाध्यक्ष, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए रूपये 7500/— (रूपये सात हजार पांच सौ मात्र) तक आर्थिक सहायता स्वीकृत करेंगें।

(सात) लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिये सहायता—

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के ऐसे मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय यथास्थिति— ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा और इस प्रकार सम्पन्न किये गये अंतिम संस्कारों के लिये स्थानीय निकाय द्वारा उपगत किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति जनहानि रूपये 2000/— (रूपये दो हजार) के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से यथास्थिति स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत को की जा सकेगीं।

(आठ) मृत पशुओं के निवर्तन की व्यवस्था—

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई पशुहानि के मामलों में मृत पशुओं का त्वरित निवर्तन कराने के लिये शासकीय अमलने का उपयोग किया जायें। मृत पशुओं के निवर्तन के लिये उपगत किये जाने वाले व्यय के लिये प्रति पशु रूपये 100/—(एक सौ रूपये) की दर से वास्तविक व्यय इनमें से जो कम हो,, के मान से तहसीलदार की स्वीकृति से व्यय किया जा सकेगा।

(नौ) कुम्हार के भट्टे में ईंट तथा खपरे बर्बाद होने पर आर्थिक अनुदान—

कुम्हारों के भट्टे में ईंट तथा खपरों के अलावा अन्य मिट्टी के बर्तन बर्बाद होने पर हानि के मूल्यांकन के आधार पर रूपये 3000/— (रूपये तीन हजार मात्र) तक सहायता अनुदान का भुगतान हुई क्षति की मात्रा के अनुसार किया जावेगा।

(दस) अग्नि या बाढ़ से प्रभावित दुकानदारों को सहायता—

(1) ऐसे छोट दुकानदारों को, जिनकी दुकानें अग्नि दुर्घटना में या अतिवर्षा/बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है और दुकानों का बीमा नही हो तथा दुकानदार के पास दुकान के नष्ट हो जाने से, जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय रूपये 35,000/— (रूपये पैंतीस हजार) से अधिक न हो।

(क) अधिकमत रूपये 6000/— (रूपये छैः हजार) तक प्रति दुकानदार आर्थिक अनुदान सहायता दी जायेगी, और

(ख) रूपये 25,000/— (रूपये पच्चीस हजार) तक ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

(ग्यारह) अस्थायी राहहत केम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था—

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम सात दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। इस प्रकार के अस्थायी कैम्पो को चलाने के लिये प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिये प्रतिदिन रूपये 20/—(रूपये बीस मात्र) भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिये की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिये कलेक्टर अधिकृत रहेगें।

संभागायुक्त अस्थायी कैम्प चलाने की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की अनुमति दे सकेंगे, किन्तु ऐसे अस्थायी कैम्प अधिकतम 15 दिवस तक चलाये जायेगें। विशेष परिस्थिति में संभागायुक्त के प्रस्ताव पर राज्य शासन की अनुमति से 5 दिवस से अधिक अवधि के लिये अस्थायी कैम्प चलाये जा सकेंगे।

(बारह) बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता—

बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों, व जिनका बीमा न कराया गया हो) डोगिंयों, मछली पकड़ने के जालों तथा अन्य उपकरणों की हुई हानि के लिये निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | नाव नष्ट होने पर | क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 12000 / — (रूपये बारह हजार ) |
| 2 | जाल या डोंगी नष्ट होने पर | क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 4000 / — (रूपये चार हजार ) |
| 3 | जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिये | क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 2000 / — (रूपये दो हजार ) |

(तेरह) कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता—

प्राकृतिक प्रकोप से प्रायवेट (निजी) कुआं या नलकूप यदि टूट—फूट या धंस जाता है तो उसके मालिक को हानि के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 6000 / — (रूपये छैः हजार) तक सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सकता है।

(चौदह) बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता—

आग अथवा अन्य प्राकृतिक यआपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर वास्तविक आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 4000 / — (रूपये चार हजार मात्र) तक अनुदान सहायता देय होगी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग—पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 14

# कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची/श्रेणी/प्रकृति (हार्ड कापी, इलेक्ट्रानिक फार्म)

| क्रमांक | जानकारियों की सूची | प्रकृति |
|---|---|---|
| 1. | अपील प्रकरण | हार्ड कापी |
| 2. | पुर्नविलोकन प्रकरण | हार्ड कापी |
| 3. | फौजदारी प्रकरण | हार्ड कापी |
| 4. | राजस्व प्रकरण | हार्ड कापी |
| 5. | अभिलेख पास बुक | हार्ड कापी |
| 6. | आदेशिका पंजी | हार्ड कापी |
| 7. | जुर्माना पंजी | हार्ड कापी |
| 8. | वाद सूची (अधिकारी की) | हार्ड कापी |
| 9. | सार्वजनिक वाद सूची | हार्ड कापी |
| 10. | रोकड़ पंजी | हार्ड कापी |
| 11. | रसीद बुक | हार्ड कापी |

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 15

कार्यालय द्वारा आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय में सूचना काउन्टर निर्मित किया गया है। तथा सूचना बोर्ड भी तैयार किया गया है, ताकि आम नागरिकों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हो सकें।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग–पंधाना

# बिन्दु क्रमांक 16

## लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी

लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कलेक्टर महोदय के आदेश द्वारा निम्नानुसार की गई है

लोक सूचना अधिकारीः'–

| क्र. | नाम | पदनाम | एसटीडी कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई–मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री अनुराग सक्सेना | अनुविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी पंधाना | 07320 | 237152 | 0733–2224158 | – | –– | सिविल लाईन्स खण्डवा |

सहायक लोक सूचना अधिकारीः–

| क्र. | नाम | पदनाम | एसटीडी कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई–मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 1 | श्री रमेशचन्द्र दोगने | राजस्व निरीक्षक, पंधाना | 07320 | 237152 | –– | – | –– | खण्डवा |

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

## बिन्दु क्रमांक 17

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो, तो उन जानकारी का भी अवलोकन किया जावेंः–

–निरंक–

अनुविभागीय अधिकारी,
अनुभाग–पंधाना

,,,,,,,,,,,,,,,,